



कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला – धमतरी (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07722-232846

email id – ayushdhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/स्था./2018/ 2195

धमतरी, दिनांक 2/04/2018

// आदेश //

विभागीय चयन समिति द्वारा प्रावीण्यता के आधार पर चयनित निम्न उम्मीदवार की अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक **वार्ड ब्याय** के पद पर वेतन बैंड रु. वेतनमान 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-1- 15600-49400) एवं प्रचलित मंहगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नीचे उल्लेखित शर्तों पर दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाती है तथा इनकी पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कंडिका-4 में दर्शाये गये स्थान पर की जाती है :-

क्र.	नाम व पता	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1	श्री हरीश चंद्र/ पिता श्री दाऊलाल, सेक्टर-2, ब्लॉक-2, कमरा नं.-71, काशीराम नगर, पो.आ.-रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)पिन- 492006	अनारक्षित	आयुष पॉली क्लिनिक धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)
2	श्री मनोज कुमार/पिता श्री मोहन सिंह, ग्राम-दलदली, पो.आ.-बरेली, व्हाया कटगी तह. -कसडोल, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.), पिन-493344	अनुसूचित जनजाति	आयुष पॉली क्लिनिक धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

2 उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा छ.ग.शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्धस्थाई) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्तियों की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देयक समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देयक या उससे एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
2. चयनित व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डालने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है, उसके अभाव में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
3. उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माने जावेंगे।



4. सामान्य प्रवर्ग के चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार इनके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति एवं सेवा पुस्तिका कार्य ग्रहण करते समय साथ लेकर आयेंगे।
5. आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र यदि पूर्व से सत्यापित न हो तो, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा।
6. चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
8. चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी धमतरी में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे।
3. चल-अचल सम्पत्ति का विवरण नियमानुसार जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
4. वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जाकर वरिष्ठता पदक्रम सूची में दर्शाई जावेगी।
5. नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

डॉ. निसार अहमद खान
प्र.जिला आयुर्वेद अधिकारी,
जिला-धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक /04/2018

पृ.क्रमांक/स्था./2018/ 2196

प्रतिलिपि:-

01. संचालक, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक, जिला चिकित्सालय धमतरी की ओर सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
06. संस्था प्रभारी, शासकीय आयुष पॉली क्लिनिक धमतरी की ओर सूचनार्थ।
07. समस्त कक्ष, स्थानीय कार्यालय धमतरी की ओर सूचनार्थ।
08. संबंधित
की ओर सूचनार्थ।

डॉ. निसार अहमद खान
प्र.जिला आयुर्वेद अधिकारी,
जिला-धमतरी (छ.ग.)